पत्रांकः– वन भूमि–51/2022 715 (ई०)/प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची–834002

पटना–15, दिनांक 20/09/22

विषय :– गया जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गया एवं बोधगया शहर में पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1109 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज (गया) द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। उक्त परियोजना का निर्माण गया एवं बोधगया में जलापूर्त्ति व्यवस्था को सालोभर सुदृढ़ करने के उदेश्य से किया जाना है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग का अधिसूचना संख्या–400 दिनांक–31.12.1996 के अंतर्गत ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना निर्माण में 2.1109 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है। विषयक परियोजना में पातित होने वाली वृक्षों की संख्या 4 तथा पुनर्स्थापित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या–17 है जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र० सं०	वन प्रमडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	वन भूमि में स्थित वृक्षों/पौधों की संख्या	
			पुनर्स्थापन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या	पातन के लिए प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या
1	गया	2.1109	17	4
	कुल	**2.1109**	**17**	**4**

विचाराधीन परियोजना निर्माण में 17 वृक्षों का पुनर्स्थापन तथा ताड़ एवं अन्य प्रजाति के 04 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0 (शून्य) अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो सीट एवं Geo-referenced नक्शा संलग्न है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, गया द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वनभूमि आश्रयणी क्षेत्र से बाहर है। परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 2.1109 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुना 4.2218 हे0 अर्थात 5.0 हे० अवकृष्ट वन भूमि को गया वन प्रमंडल के गया वन प्रक्षेत्र के डुगेंश्वरी PF को चिन्हित करते हुए 20,03,115/–(बीस लाख तीन हजार एक सौ पन्द्रह रूपये) मात्र प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 2.1109 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9,57,780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 20,21,778/–(बीस लाख इक्कीस हजार सात सौ अठ्ठतर रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 2.1109 हे० वनभूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडल अंतर्गत 5.00 हे० अवकृष्ट वनभूमि डुंगेश्वरी सुरक्षित वन PF में चिन्हित करते हुए रू० 20,03,115/– (बीस लाख तीन हजार एक सौ पन्द्रह रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1272/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

20/9/2022

(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-247

Van Bhumi:-51/2022

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 2.1109 ha. forest land for installation of New Pipeline to carry pure water under Gaya District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Signature:- Sudhir Kumar

Date:- 20/9/2022

Name of Designation:- अपर सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार, पटना

Place:- PATNA

Official Seal:-